न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी [illegible]40—पीबीआर / 2000 विरुद्ध आदेश [illegible] 22—8—2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 203 / 91—92 / अपील.

वीरेन्द्र कुमार पुत्र सियाशरण श्रीवास्तव
निवासी ग्राम थैली तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया ..... आवेदक

विरूद्ध

1 - श्रीमती विजय पत्नी महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
2 - मीना श्रीवास्तव पुत्री महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
निवासीगण 7 / 93 तलैया मोहल्ला
मालवीय चौक गुना ..... अनावेदकगण

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 203 / 91—92 / अपील में पारित आदेश दिनांक 22.8.2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है

2 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक [illegible] विवादित भूमि का नामांतरण [illegible] पर अपने नाम से किए जाने [illegible]। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेख के आधार पर [illegible] आवेदन निरस्त करते हुए अनावेदकों का नामांतरण स्वीकार किया गया [illegible]

विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपीलें क्रमशः [illegible] अपर आयुक्त ने निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी [illegible] न्यायालय में पेश की गई है

3- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं [illegible] प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया है

4- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का [illegible] किया गया । यह प्रकरण वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण का होकर [illegible] न्यायालय के आदेश समवर्ती होने से अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील को अस्वीकार किया है । उन्होंने अपने आदेश में व्यक्त किया है कि न तो मूल वसीयत प्रस्तुत की गई न ही वह पंजीकृत है और न ही [illegible] पर सिद्ध किया गया है । [illegible] उत्तराधिकारियों के हित को अनदेखा करते हुए जो वसीयत [illegible] गई है उसके [illegible] सावधानी आवश्यक है । उन्होंने यह माना है कि अनावेदक प्रथम श्रेणी [illegible] होकर वसीयत सिद्ध न होने के [illegible] उत्तराधिकारी [illegible] किया जाना [illegible] उचित है । यह भी उन्होंने पाया है कि मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई है [illegible] आधार नामांतरण चाहा गया है और [illegible] श्रीवास्तव द्वारा [illegible] उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर [illegible] है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालयों के [illegible] निष्कर्षों को उचित मानते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार किया है । प्रकरण की [illegible] और जो वैधानिक स्थिति है उसको देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश [illegible] विधिसम्मत और न्यायिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम० के० सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर